भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1876
02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आत्महत्या को स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार करना

1876. डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री प्रताप चंद्र षडग्डी :
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की देश में आत्महत्या के मामलों को कम करने हेतु प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में आत्महत्या के मामलों को कम करने हेतु संस्थाओं का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थापित ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने आत्मघाती व्यवहार से जुड़े दाग को कम करने हेतु कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सरकार ने नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति (यथा https://mohfw.gov.in/sites/default/files/National%20Suicide%20Prevention%20Strategy.pdf) जारी की है। यह कार्यनीति विभिन्न हितधारकों के लिए भारत में 2030 तक आत्महत्या की रोकथाम और

आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए गतिविधियों को लागू करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान यथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची सहित 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं।

इसके अलावा, देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों के दाखिला को बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहयोग किया है। 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है। ये सेवाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध हैं।

एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके उद्देश्यों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, स्कूलों और कॉलेजों में जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श शामिल हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के स्तर पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बहिरंग सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाएं, संपर्क सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा का प्रावधान है। डीएमएचपी के तहत स्वीकृत 767 जिलों की राज्यवार सूची https://mohfw.gov.in/sites/default/files/List%20of%20Approved%20DMHP%20Districts_0.pdf पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) और शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (यूएचडब्ल्यूसी)

को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

मानसिक बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों में सामुदायिक भागीदारी के साथ सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों द्वारा जागरूकता सृजन गतिविधियां एनएमएचपी का अभिन्न अंग हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है। 23.07.2024 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक कॉलों का समाधान किया गया है।

*****